

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री 24 फरवरी से असम के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे: हिमंत

गुवाहाटी, एजेंसी मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में 24 फरवरी से असम के दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 8,000 कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड बनाने वाले झुम्र नृत्य प्रदर्शन को देखने के लिए शाम पाँच बजे यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) अगले दिन 'एडवार्टेज असम शिखर सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र में भी शामिल होंगे। शर्मा ने कहा कि वह हाल ही में प्रधानमंत्री की राज्य यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे और साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उड़े निवेश शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। दो दिवसीय 'एडवार्टेज असम शिखर सम्मेलन' का दूसरा संस्करण 25 फरवरी से यहां आयोगी जायाएगा ताकि सांझारी व संवेदन को मजबूत किया जा सके और साथ ही व्यापार के विस्तार व नए निवेश को आगे बढ़ावे के लिए राज्य में उपलब्ध अंतर्बंध संभावनाओं के बारे में मूल्यवान जनकारी प्राप्त की जा सके। असम में 24 फरवरी को 8,000 कलाकार झुम्र नृत्य की प्रस्तुति देकर रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं जिसने विश्व 11,298 प्रतिभागियों ने 'एक ही स्थान पर सबसे बड़ा बिहू नृत्य' कर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

सैन्य अधिकारी और नंगेट की प्राइड़ना मानोंगे ओडिशा सरकार ने जांच आयोग का कार्यालय कार्यालय

भवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा में बीते साल सितंबर में हिरासत में सेना के अधिकारी और उसकी मंगेतर की प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। इसकी जांच के लिए जस्टिस चित्तरंजन दास जांच आयोग का गठन किया गया। इसके साथ सुब्रंह्मीनारायण की जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए आयोग का कार्यालय 28 फरवरी 2024 में अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 की रात तक पुलिस स्टेनशन में कथित तौर पर एक घटना हुई थी, जिसमें एक सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेनशन में कथित तौर पर दुर्घटनाकृति किया गया था। इस संबंध में एफआईआर और काउंटर एफआईआर दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में जिस जांच आयोग का गठन किया गया था अंतिम तिथि 2024 में अपनी जांच शुरू की... अब सरकार ने आयोग का कार्यालय 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया क्योंकि सभी 35 गवाहों से पूछताछ और जांच पूरी करना संभव नहीं हुआ।

ओडिशा में डिप्टी डायरेक्टर के घर से 1.5 करोड़ नकद जब्त

भवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में राज्य सरकार के एक अधिकारी के घर से 1.5 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक सर्कारी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को आय से संबंधित रखने के आरोप में मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) के लिए अस्पताल में रखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति का आकाश करने के लिए अस्पताल के बाहर रुका रहा है।

इसी बीच, सेना ने घटनाओं के क्रम का विवरण देते हुए एक बयान जारी किया है। सेना के अनुसार, आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर 5 फरवरी, 2025 को बारामुल्ला में एक मोबाइल वाहन चेक पोस्ट (एमवीसीपी) स्थापित किया गया था। सेनानियन के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार्रवाई मलकानगिरी के बाटों बोर्ड उपरांग शान्तनु महापात्र के घर पर छपा मारा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छापे की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (सरकारी विभाग, जयपुर) की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। इसमें 2 एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंप्रेसर, 6 एसएसआर और अन्य साधक कर्मचारी शामिल थे जो छापे की कार

